




विज्ञप्ति/कार्यालय आदेश


मा0 कुलाधिपति/राज्यपाल महोदय के निर्देशों के अनुक्रम में उच्च शिक्षा में शैक्षणिक गुणवत्ता सुधार हेतु विभिन्न सम्बद्ध संस्थानों का औचक निरीक्षण करने हेतु मा0 कुलपति महोदय द्वारा एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है, यह समिति निकट भविष्य में श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संस्थानों का औचक निरीक्षण करेगी तथा निरीक्षण में पायी गयी कमियों पर आख्या प्रस्तुत करेगी।

अतः उपरोक्त विषय पर विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति को निरीक्षण के समय समस्त प्राचार्य/निदेशक सम्बद्ध संस्थान सहायोग प्रदान करेंगे तथा मान्यता हेतु संस्थान द्वारा प्रस्तुत किये गये दावों/अभिलेखों का सत्यापन औचक निरीक्षण समिति द्वारा किये जाने पर सम्बन्धित अभिलेख औचक निरीक्षण समिति को उपलब्ध करायेंगे एवं भौतिक/मानवीय संशाधनों का निरीक्षण भी समिति से करायेंगे। यदि निरीक्षण दल द्वारा मांगे गये अभिलेख किसी संस्थान द्वारा उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो ऐसे संस्थानों की मान्यता के प्रकरणों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। औचक निरीक्षण के समय संस्थान के प्राचार्य/निदेशक के उपस्थित न होने की स्थिति में प्रभारी द्वारा निरीक्षण की कार्यवाही सम्पादित करायी जायेगी तथा सम्बन्धित अभिलेख औचक निरीक्षण समिति को उपलब्ध कराये जायेंगे।


प्रभारी कुल सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. विशेष कार्याधिकारी/सचिव मा0 राज्यपाल।
2. प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा उत्तराखण्ड शासन।
3. वित्त अधिकारी श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय।
4. निरीक्षण समिति के समस्त सदस्य।
5. निजी सचिव, मा0 कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
6. समस्त प्राचार्य/निदेशक सम्बद्ध संस्थान/महाविद्यालय।
7. कार्यालय प्रति।


प्रभारी कुल सचिव